

राजस्थान पुलिस
स्टेट क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो

क्रमांक-फ-3(2)एससीआरबी/संस्था/2016/126

दिनांक: 07/01/2021

आदेश

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
जायरी संख्या: 88.....
दिनांक: 11/01/21.....

राजस्थान सरकार गृह ग्रुप-1 विभाग के आदेश क्रमांक प-5(6)गृह-1/2020 दिनांक 21.09.2020 के द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा के नियम 1954 के नियम 32 के प्रावधानानुगत श्री वीर सिंह पुत्र श्री प्रभुदान सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक को राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2020 को सिनियर स्केल से सलेक्शन स्केल में पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार वेतन निर्धारण किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम व पद	दि0 01.04.2020 को वेतन लेवल /सैल नं0	दि0 01.04.2020 को पदोन्नति पर स्लेट स्केल में देय वेतन लेवल/सैल नं0
1	2	3	4
1.	श्री वीर सिंह पुत्र श्री प्रभुदान सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक	93100/- L-16 सैल नं0 12	98300/- L-19 सैल नं0 08

नोट:- उक्त अधिकारी की पदोन्नति सेवानिवृत्ति के उपरान्त हुई है। अतः इन्हे वेतन के रूप में कोई नगद लाभ देय नहीं होगा।

ई0ओ0बी0 नं0- 06

दिनांक:- 07/01/2021

(गौरव यादव)
पुलिस अधीक्षक,
स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग।
3. प्रभारी, लेखाशाखा, एससीआरबी जयपुर को दो प्रतियों में।
4. ई.ओ.बी./निजी पत्रावली।
5. सम्बन्धित अधिकारी।

पुलिस अधीक्षक,
स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।